छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2010
(श्रावण-12, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 02, 04 से 11 एवं 13 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 एवं 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.शक्राजीत नायक एवं श्री राजकमल सिंघानिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 35 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राज्य वित्त के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन पटल पर रखा।

3.ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (4) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) डॉ.प्रेमयास सिंह टेकाम, सदस्य ने सरगुजा जिले के वाड्रफनगर स्थित गोदामों में कनकी युक्त चावल पाये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, राजू सिंह ठाकुर, सदस्य ने जिला धमतरी में एक डॉक्टर की हत्या संबंधी प्रकरण में पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल, सदस्य ने कोरबा शहर में सी.सी.एन. केबल नेटवर्क द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री लेखराम साहू, सदस्य ने जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी द्वारा फर्नीचर क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री लखमा कवासी
(6)	सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल
(7)	मोहम्मद अकबर
(8)	सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, देवजी पटेल
(9)	डॉ.हरिदास भारद्वाज
(10)	मोहम्मद अकबर

(11) श्री भोलाराम साहू,

(13) श्री रविन्द्र चौबे

(14) श्री संतोष बाफना

(15) श्री नंदकुमार पटेल, श्री रविन्द्र चौबे

(16) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल

(17) श्री परेश बागबाहरा

(18) श्री अमरजीत भगत

(19) श्री रामजी भारती

(20) श्री रविन्द्र चौबे

(21) श्री धर्मजीत सिंह

(23) श्री नंदकुमार पटेल

(24) श्री मोहम्मद अकबर

(25) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री भजन सिंह निरंकारी

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री भोलाराम साहू

(3) श्री मोहम्मद अकबर

(4) महंत रामसुंदर दास

(5) श्री रुद्रकुमार गुरु

(6) श्री रामपुकार सिंह

(7) श्री नंदकुमार पटेल

(8) डॉ.शक्राजीत नायक

(9) श्री परेश बागबाहरा

(10) श्री देवजी पटेल

(11) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(12) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
(13) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
(14) श्री डमरू धर पुजारी
(15) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
(16) श्री राजकमल सिंघानिया
(17) श्री अमरजीत भगत
(18) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
(19) श्री रामजी भारती

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवजी पटेल, सभापति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य ने रायपुर जिले के भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोपका में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने, तथा

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पामगढ़ मुख्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

7. राष्टकुल संसदीय संघ के इंडिया एवं एशिया रीजन के सम्मेलन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271 (ख) को शिथिल कर माह अक्टूबर, 2010 को रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रकुल संसदीय संघ इंडिया एवं एशिया रीजन के सम्मेलन के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार सभा भवन के उपयोग की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।
सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

8. अध्यक्षीय उद्गार

राष्ट्रकुल संसदीय संघ का इंडिया एवं एशिया रीजन का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित करने के लिये लोक सभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने अनुमति दी है। यह हम सब के लिये अत्यंत खुशी का अवसर है कि इंडिया एवं एशिया रीजन जिसमें लोकसभा, राज्य सभा सहित समस्त विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारी, पाकिस्तान और इसके विभिन्न राज्य, श्रीलंका, मालद्वीप के पीठासीन अधिकारी एवं राष्ट्रकुल मुख्यालय ब्रिटेन के पदाधिकारी सहित कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

सम्मेलन के दौरान आतंकवाद एवं नक्सलवाद प्रजातंत्र के लिये खतरा विषय पर भी प्रतिनिधिगण अपने विचार व्यक्त करेंगे। विचार-विमर्श से निकले निष्कर्षों से निश्चित तौर पर यह प्रदेश भी लाभान्वित होगा। इस सम्मेलन को एक प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन बनाना है, अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभी सदस्य सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।

9. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती सुमित्रा मारकोले, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री देवजी पटेल, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची के पद क्रमांक 8 (2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री के प्रस्ताव के पूर्व पद क्रमांक 8 (4) श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के प्रस्ताव लिये जाने, तद्नुसार क्रमांक 2 से क्रमांक 4 पुर्नक्रमांकित किए जाने संबंधी घोषणा की।

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21, सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21, सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.सुभाऊ कश्यप, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री संतोष बाफना, देवजी पटेल (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री देवजी पटेल, श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक को उसमें कमियां दृष्टिगोचर होने से विचार के लिए प्रवर समिति को सौंपने की आसंदी से मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करने पर मत मांगा।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सूचित किया कि इस विधेयक की सूचना विभाग की वेबसाईट में 6 माह पूर्व से दी गई थी तथा उसमें सुझाव मांगे गए थे तथा समुचित विचारोपरांत ही इस विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। अत: इसे प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया।

संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दीपक कुमार पटेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री फूलचंद सिंह, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, बद्रीधर दीवान, रामदयाल उइके, खेदूराम साहू, टी.एस.सिंहदेव, विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री देवजी पटेल, दूजराम बौद्ध, रविन्द्र चौबे नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में दर्ज कार्य समाप्त होने एवं अन्य कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार के परसताव हा मनजूर होइस।

विधेयक के खण्ड मा विचार होइस।

खंड 2 से 19 ये विधेयक के अंग बनीस।

खंड 1 ये विधेयक के अंग बनीस।

पूरा नाम अउ अधिनियमन सूत्र ये विधेयक के अंग बनीस।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22, सन् 2010) पारित किया जाय।

परसताव मनजूर होइस।

विधेयक हा सर्वसम्मति से पारित होइस।

(4) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री टी.एस.सिंहदेव,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, भजन सिंह निरंकारी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री संतोष बाफना।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु माननीय सदस्य का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य को प्राक्कलन समिति के रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

13.नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल द्वारा रायगढ़ निवासी सर्वश्री जगन्नाथ पाणिग्रही, गिरधर गुप्ता, गोपाल शर्मा, रोशन लाल अग्रवाल, सुभाष पांडे एवं आलोक सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2010 को मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

14. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम दिवस है । 26 जुलाई, 2010 से 3 अगस्त, 2010 तक इस सात दिवसीय सत्र के समापन अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे जी को, माननीय उपाध्यक्ष एवं आप सभी माननीय सदस्यों को ह्दय से धन्यवाद देता हूं ।

इन सात दिवसीय बैठकों में संसदीय परम्पराओं को आत्मसात करते हुए माननीय सदस्यों ने जनहित से जुड़े विषयों को प्रक्रियाओं के अंतर्गत सभा में उठाकर न केवल शासन का ध्यान आकर्षित किया, अपितु अपने सुझाव देकर विचार-विमर्श के इस सर्वोच्च मंच की सार्थकता को सिद्ध किया ।

लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं अपितु एक जीवन शैली है और लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली का भविष्य संसदीय सदनों में माननीय सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर निर्भर करता है । छत्तीसगढ़ की विधान सभा पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के मध्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने एवं उसके क्रियान्वयन के स्वरूप पर वैचारिक मतभेद भले ही प्रतीत होते हों, पर मनभेद का दुर्बल पक्ष इस सभा में कभी भी परिलक्षित नहीं होता और यही संसदीय प्रणाली का मूल तत्व है । मैं पक्ष एवं विपक्ष की इस उत्कृष्ट संसदीय संस्कृति की मुक्त कण्ठ से सराहना करता हूं ।

यद्यपि इस नौ दिवसीय सत्र में कुल सात बैठकें निर्धारित थीं, किन्तु माननीय सदस्यों ने पूरे नौ दिन संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में परिमार्जन का कार्य किया । इस सत्र के दौरान शनिवार, दिनांक 31 जुलाई, 2010 एवं रविवार, दिनांक 1 अगस्त, 2010 को शासन की संस्था चिप्स के सहयोग से माननीय सदस्यों के लिए कम्प्यूटर के तकनीकी ज्ञान को संवर्धित करने में उद्देश्य से दो दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । यही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता को उन्होंने प्रतिपादित किया । श्री बोधराम कंवर जैसे इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी कम्प्यूटर के तकनीकी ज्ञान अर्जन के प्रति

अपनी रूचि दिखाते हुए सम्मिलित हुए, कुल लगभग 35 सदस्यों ने जिसमें माननीय मंत्रिगण भी सम्मिलित हैं, इस दो दिवसीय प्रशिक्षण का लाभ उठाया। मैं इस अवसर पर प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और जो माननीय सदस्य अन्यान्य कारणों से इस प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो सकें, उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी समय में विधान सभा सचिवालय के द्वारा आयोजित किये जाने वाले इसी प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनार, संगोष्ठियों आदि में अवश्य रूप से उपस्थित होने का प्रयास करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि वर्तमान परिवेश के जितने नजदीक रहेंगे, कार्यशैली में भी उतना ही बदलाव आएगा । मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि "**दिया गया दान, किया गया काम और अर्जित ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता**" उसके प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है।

इस सत्र के प्रथम दिवस दिनांक 26 जुलाई को "**छत्तीसगढ़ में कुपोषण उन्मुक्ति**" विषय पर केन्द्रित परिसंवाद आयोजित किया गया । परिसंवाद में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सदस्यों को जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारियाँ विस्तार से दीं, वहीं यूनिसेफ ने कुपोषण से उन्मुक्ति विषय पर विश्लेषित जानकारियों के साथ कुपोषण से उन्मुक्ति के प्रयास किस प्रकार से किये जायें भी विस्तार से बताया। यह कार्यक्रम यूनिसेफ की छत्तीसगढ़ शाखा के द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित आप सभी माननीय सदस्य उपस्थित हुये और मुझे विश्वास है कि इस परिसंवाद का लाभ कुपोषण से उन्मुक्ति की विभिन्न योजनाओं में आप सबकी भागीदारी से और अधिक मजबूत होगा।

यह पावस सत्र एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिये भी सदैव स्मरण किया जायेगा। इस सत्र में दिनांक 2 अगस्त, 2010 को आप सबने इस सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया और माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। पीठासीन अधिकारियों पर सभा के संचालन की महती जिम्मेदारी होती है। श्री नारायण चंदेल इस सभा के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य हैं। आप सबने सभापति के रूप में उन्हें सभा की कार्यवाही का संचालन करते देखा है और आसंदी पर सदैव अपना विश्वास व्यक्त किया है। उनके उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर मैं इस अवसर पर एक बार पुनः अपनी ओर से और इस सभा की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश में इस बात के लिये ख्याति प्राप्त की है कि इस सभा में सदस्यों ने सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयं निलम्बित जैसा स्व-संयम बरतने का विरला नियम नियमावली में सम्मिलित किया है और इस नियम का पालन करने का उदाहरण भी। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि अन्य विधान मण्डल भी वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार का नियम नियमावली में सम्मिलित करने के संबंध में विचार कर रहे हैं।

वर्तमान सत्र में दिनांक 27 जुलाई, 2010 को प्रश्नकाल बाधित हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्य उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल स्थगित करते हुये चर्चा आरंभ करना चाहते थे। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रश्नकाल सभा का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, जब मंत्रि-परिषद के सदस्यों को माननीय सदस्यों के प्रश्नों का न केवल सामना करना पड़ता है अपितु प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

संसदीय कार्यों के ऊपर जब राजनीतिक कार्य हावी होते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है किन्तु छत्तीसगढ़ विधान सभा में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने हमेशा संसदीय कार्यों के ऊपर राजनीतिक कार्य हावी न होने पाये, की भावना अभिव्यक्त की है। प्रश्नकाल बाधित न हो, इस संबंध में संसद सहित समस्त विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारी के मध्य विचार-मंथन चल रहा है। मेरा समस्त माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि वे इस बारे में विचार करें कि क्या छत्तीसगढ़ विधान सभा इस संबंध में भी कोई निर्णय लेकर देश के समस्त विधान मण्डलों के समक्ष संसदीय मर्यादा, संसदीय संस्कृति एवं संसदीय प्रक्रियाओं के संरक्षण में अग्रणी होने का एक और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं?

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 250 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

यद्यपि यह लघु सत्र था किन्तु सदस्यों ने जागरूक रहते हुये अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से किया और प्रत्येक विषय, जो जन-कल्याण और विकास से सहमत है, को विभिन्न माध्यमों से सभा में उठाया और प्रत्येक विषय पर चर्चा की।

अब मैं इस लघु सत्र में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा।

इस पावस सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 7 कार्य दिवसों में कुल लगभग 34 घंटे से अधिक चर्चा हुई। इस सत्र में 689 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से ग्राह्य तारांकित प्रश्न 249 रहे तथा 51 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस प्रकार मौखिक प्रश्नों का औसत 10.2 प्रश्न का रहा। अर्थात् प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने अधिकाधिक लाभ उठाया। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 1 सूचना पर चर्चा हुई।

इस सत्र में 9 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 3 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिए सदन में रखे गये उनमें से 2 संकल्प स्वीकृत हुए एवं 1 संकल्प व्यपगत हुआ। इस सत्र में एक शासकीय संकल्प भी लाया गया, जो स्वीकृत हुआ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तौला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया। आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन-भावना, जन-कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से स्थगन प्रस्ताव की एक ही विषय पर प्राप्त 42 सूचनायें ग्राह्य कर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 5 रही तथा 4 सूचनाएं ध्यानाकर्षण में परिवर्तित की गई। इस सत्र में शून्यकाल की 102 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 67 सूचनाएं ग्राह्य व 35 सूचनाएं अग्राह्य रही।

तृतीय विधान सभा के इस चतुर्थ सत्र में कुल 334 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 91 सूचनाएं ग्राह्य व 195 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 48 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित हुई। इस सत्र में कुल 8 विधेयक लाए गए और सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में कुल 6 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 2 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई एवं विभिन्न समितियों के 17 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ, जिसमें 4 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का भी अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में उपयोग किया तथा सभा के कार्य के संबंध में माननीय सदस्यों को पुस्तकालय से विभिन्न विषयों पर साहित्य एवं संदर्भ सामग्री भी उपलब्ध करायी गई।

मैं इस अवसर पर सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रकुल संसदीय संघ का इंडिया एवं एशिया रीजन का सम्मेलन 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 2010 की अवधि में छत्तीसगढ़ में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मेलन विधान सभा भवन में ही आयोजित है। इस सम्मेलन में भारत सहित एशिया के अन्य राष्ट्रकुल संसदीय संघ के सदस्य देशों के पीठासीन अधिकारी एवं राष्ट्रकुल संसदीय संघ के पदाधिकारीगण हिस्सा लेंगे। यह एक अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन होगा। इस सम्मेलन में आप सबका सहयोग एवं सहभागिता का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मुझे विश्वास है कि माननीय सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन से यह सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित होगा।

मैं इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के प्रतिनिधियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभा की कार्यवाही को हुबहू रूप में जन-जन तक पहुँचाने में उनकी भूमिका की सराहना करता हूँ।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आव्हान करना चाहता हूँ कि आइए छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

जय हिन्द! जय भारत ! जय छत्तीसगढ!

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य श्री दूजराम बौद्ध ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किये।

15. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

रात्रि 7.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा